

मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक / एफ 03-41/2017/26-2
प्रति,

भोपाल, दिनांक 23 / 12 / 2017

1. समस्त कलेक्टर म.प्र
2. समस्त आयुक्त नगर निगम / मुख्य नगर पालिका अधिकारी म.प्र.
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत म.प्र

विषय- "समाधान एक दिन-तत्काल सेवा" व्यवस्था के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन (IGNOAPS) स्वीकृत करने विषयक।

1. सेवा का उद्देश्य- तत्काल सेवा प्रदाय करने के उद्देश्य से एक दिवस में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन (IGNOAPS) स्वीकृत करने के अंतर्गत विभाग द्वारा प्रदाय किया जा रहा है। योजनान्तर्गत 300 रु. प्रतिमाह पेंशन हितग्राही के खाते में प्रदाय की जाती है। हितग्राही की आयु 80 वर्ष से अधिक होने पर 500 रु प्रतिमाह पेंशन प्रदाय की जाती है।

2. पदाभिहित अधिकारी का पद नाम एवं समय सीमा -

जिला कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, समय सीमा 1 दिवस

3. पात्रता के मापदंड -

- आवेदक / आवेदिका म.प्र की मूल निवासी हो।
- आवेदक / आवेदिका की आयु 60 वर्ष अथवा इससे अधिक हो।
- आवेदक / आवेदिका भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए।

4. आवश्यक दस्तावेज एवं परीक्षण की प्रक्रिया-

क्र.	आवश्यक दस्तावेज	परीक्षण की प्रक्रिया
1	आयु प्रमाण पत्र (निम्न में से कोई एक) <ul style="list-style-type: none">• स्कूल का प्रमाणपत्र / अंकसूची• जन्म प्रमाणपत्र• मतदाता सूची• स्वयं का मतदाता परिचय पत्र• मनरेगा जॉब कार्ड• चिकित्सक द्वारा जारी प्रमाणपत्र• उपरोक्त में से कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने पर नोटरी / मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित	आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर

